



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 14, 2013/माघ 25, 1934

No. 77]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 14, 2013/MAGHA 25, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 84(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो, निदेशक भर्ती नियम, 1985 को, जो पहले निरीक्षक, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो में केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, निदेशक, भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो	1*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के साथ 800 रु. प्र.मा. विशेष भत्ता में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो में उप अधीक्षक (अंगुली छाप) जिन्होंने सात वर्ष नियमित सेवा के साथ सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान से बुनियादी प्रबंधन सेवा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य पुलिस बलों या संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों के अधीन अधिकारी —

(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, (15600—39100 रु.) एवं ग्रेड वेतन 5400 रु. के पद पर या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो।

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) एवं ग्रेड वेतन 4800 रु. के पद पर या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात् उन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो।

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो :—

(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री; एवं

(ii) अंगुली छाप कूटबद्ध, वर्गीकरण, परीक्षण एवं रिकार्ड करने में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, एक जनवरी, 2006/वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित किया गया हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किने परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- | | |
|---|----------|
| 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो | —सदस्य |
| 3. संयुक्त निदेशक या महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो | —सदस्य |
| 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय | —सदस्य |

[फा. सं. 35/3/2010-प्रशा. I (बी)/रा.अ.रि.ब्यू.]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Finger Print Bureau (Director) Recruitment Rules, 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Central Finger Print Bureau, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Central Finger Print Bureau, Director Recruitment Rules, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director, Central Finger Print Bureau	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 (Grade Pay of Rs. 6600)	Selection post	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years for promotees	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion : Deputy Superintendent (Finger Print) in the Central Finger Print Bureau with seven years' regular service in the grade in Pay Band-2, (Rs. 9300—34800) plus Grade Pay of Rs. 4600 with Special Allowance of Rs. 800 p.m. and has undergone Basic Management Services training from Institute of Secretariat Training and Management. Note 1 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation : Officers from the Central Government or the State Government or State Police Force or Union Territory Police Force : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Pay Band-2, (Rs. 9300—34800) and Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following qualifications and experience :— (i) Degree in Science from recognised University; and (ii) five years' experience in finger print codification, classification, testing and recording. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

(11)

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

- | | |
|---|------------|
| 1. Chairman or Member Union Public Service Commission | — Chairman |
| 2. Director, National Crime Records Bureau | — Member |
| 3. Joint Director or Inspector General, National Crime Records Bureau | — Member |
| 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs | — Member |

[No. 35/3/2010-Ad. I(B)/NCRB]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.